

अध्याय-चतुर्थ





अध्याय - चतुर्थ

प्रदत्तों का सकलन एवं विश्लेषण

4.0 इस अध्याय मे अध्ययन हेतु सकलित आकड़ो को सारिणीबद्ध कर उद्देश्यो अनुसार उनका विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

4.1 उच्च प्राथमिक शासालो मे शारीरिक शिक्षक का पद तथा नियुक्ति

शाला के प्रकार	कुल शालाएं	स्वीकृत पद	नियुक्ति
शा उ प्रा शा	8	8	0
अशा उ प्रा शा	8	8	7

उपरोक्त सारिणी से स्पष्ट होता है कि शासकीय उच्च प्राथमिक शालाओ मे शारीरिक शिक्षक का पद होते हुए भी शारीरिक शिक्षक की नियुक्ति नहीं है अशासकीय उच्च प्राथमिक शालाओ मे शारीरिक शिक्षक का पद आठ शासालो मे है और सात शालाओ मे शारीरिक शिक्षक नियुक्ति हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के पेज नबर 19 मे कहा गया है कि शारीरिक शिक्षा के अध्यापको की नियुक्ति की जायेगी।

शिक्षार्थियो के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के सम्बंध मै, उच्च प्राथमिक स्तर पर शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा अति महत्वपूर्ण होती है। स्वास्थ्य शिक्षा मे, शिक्षार्थियो मे स्वास्थ्य सम्बंधी सामान्य समस्याओ, सुरक्षा उपायो, पोषण सम्बंधी समस्याओ प्रथम उपचार, स्वच्छता और प्रदूषण के सम्बंध मे जागरूकता पैदा करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। तथा खेल क्रियाओ को विधिवत तरीके से करवाने के लिए शारीरिक शिक्षक की नियुक्ति होना आवश्यक है।

पूर्व मै किये गये किसी शोध-कार्य मै इस बिन्दु हेतु जानकारी उपलब्ध नहीं हुई, इसलिए वर्तमान मै किये गये अध्ययन की चर्चा हेतु आकडे उपलब्ध नहीं हैं।



शारीरिक शिक्षक की नियुक्ति के बिना शालेय स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। बच्चों के स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास के लिए शारीरिक शिक्षक की नियुक्ति अवश्य होना चाहिए।

अत शारीरिक शिक्षक की नियुक्ति की स्थिति अशासकीय शालाओं मैं अच्छी है।


4.2 उच्च प्राथमिक शालाओं मे कार्यरत शारीरिक शिक्षकों की योग्यता

शाला के प्रकार	कार्यरत शारि.शि.	शारि.शि.डिप्लोमा	शारि शि डिग्री
शा उ प्रा शा	0	0	0
अशा उ प्रा शा	7	4	3

उपरोक्त सारिणी से स्पष्ट है कि अशासकीय उच्च प्राथमिक शालाओं मे शारीरिक शिक्षक की योग्यता चार शाआलों मे शारीरिक शिक्षा मे डिप्लोमा धारक शिक्षक है। और तीन शालाओं मे शारीरिक शिक्षा की डिग्री प्राप्त शारीरिक शिक्षकों की योग्यता है।

स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा तथा खेलकूद अधिगम प्रक्रिया शिक्षार्थियों की कार्यक्षमता का मूल्याकन करने के लिए शिक्षार्थी के सम्पूर्ण स्वास्थ्य मानसिक, भावनात्मक स्वास्थ्य, पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता के सम्बंध मे बाछनीय समझ, दृष्टिकोण और व्यवहार विकसित करने मे सहयोग देने के लिए योग्य शारीरिक शिक्षक का होना अतिआवश्यक है। योग्य शिक्षक ही स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा करने मे सफल हो सकते हैं।

शासकीय उच्च प्राथमिक शाआलों मे तो शारीरिक शिक्षक की नियुक्ति नहीं है। और शाला के अन्य शिक्षक ही इस कार्य को करवाते हैं। अशासकीय उच्च प्राथमिक शालाओं मैं योग्य शारीरिक शिक्षक नियुक्त हैं।



अत इन शालाओं में शारीरिक शिक्षा की नियुक्ति शासकीय शालाओं की अपेक्षा उच्ची है।

4.3 उप्रा शा मे शारीरिक शिक्षा के लिए बजट की उपलब्धि, पर्याप्तता तथा अपर्याप्तता

शाला के प्रकार	कुल शालाएँ	बजट उपलब्धता	बजट पर्याप्तता	बजट की अपर्याप्तता
शा उ प्रा शा	8	8	2	6
अशा उ प्रा शा	8	8	5	3

शोधकर्ता ने सभी आठ शासकीय तथा आठ अशासकीय उच्च प्राथमिक शालाओं में जाकर प्रश्नावली द्वारा पता लगाया कि उच्च प्राथमिक शालाओं में स्वास्थ्य एव शारीरिक शिक्षा के लिए कितने बजट का आवंटन किया जाता है।

बजट शाला के विद्यार्थियों की सख्त्या पर निर्भर करता है कि जितनी सख्त्य शालाओं में विद्यार्थियों की होती है उसी के हिसाब से बजट शालाओं को मिलना चाहिए। और सभी खेल क्रियाओं को ध्यान में रखते हुए बजट का आवंटन किया जाता है।

उपरोक्त सारिणी से स्पष्ट है कि सभी आठ शासकीय शालाओं में बजट उपलब्ध है। केवल दो शासकीय शालाओं में बजट पर्याप्त है और छ शासकीय शालाओं में बजट अपर्याप्त है।

अशासकीय सभी आठ शालाओं में स्वास्थ्य एव शारीरिक शिक्षा के लिए बजट उपलब्ध है और पाच अशासकीय शालाओं में बजट पर्याप्त है तीन शालाओं में अपर्याप्त है।

शासकीय शालाओं में बजट

एक शासकीय उच्च प्राथमिक शाला में 606 विद्यार्थियों की सख्त्या है और वहा 1500/- रु प्रतिवर्ष स्वास्थ्य एव शारीरिक शिक्षा के लिए दिया जाता है। दूसरी शाला मे

500 विद्यार्थियों की सख्ता है और 1000/- रु प्रतिवर्ष शारीरिक शिक्षा हेतु दिया जाता है तीसरी शाला मे 650 विद्यार्थियों की सख्ता है और वहा पर 1300/- रु स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के लिए बजट है।

चौथी शाला मे 700 विद्यार्थियों की सख्ता है और 2200/- रु स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के लिए बजट है।

पाचवी शाला मे 350 विद्यार्थियों की सख्ता है और वहा स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के लिए 700/- रु दिये जाते हैं।

छठवी शाला मे 700 विद्यार्थियों की सख्ता है और वहा क्रीड़ा निधि से 40% बजट स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के लिए दिया जाता है।

सातवी शाला मे 663 विद्यार्थियों की सख्ता है और वहा 1326/- रु स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के लिए दिया जाता है।


आठवी शाला मे 500 विद्यार्थियों की सख्ता है और 1000/- रु प्रतिवर्ष शारीरिक शिक्षा हेतु दिया जाता है

अशासकीय शालाओं मे बजट

एक शाला मै 130 विद्यार्थियों की सख्ता है। और वहा पर 3000/- रु स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के लिए बजट है।


दूसरी शाला मे 1100 विद्यार्थियों की सख्ता है। और वहा पर 6000/- रु प्रतिवर्ष स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के लिए दिया जाता है।

तीसरी शाला मे 850 विद्यार्थियों की सख्ता है और 7000/- रु स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के लिए दिया जाता है।



निरन्तर

(25)



चौथी शाला जिसमे 450 विद्यार्थियों की संख्या है और 2000/- रु स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के लिए दिया जाता है।

पांचवी शाला मे 812 विद्यार्थियों की संख्या है और 5000/- रु वहां स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के लिए बजट दिया जाता है।

छठवी शाला मे 500 विद्यार्थियों की संख्या है और 5000/- रु प्रतिवर्ष स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के लिए दिया जाता है।

सातवी शाला मे 400 विद्यार्थियों की संख्या है और 5000/- रु शारीरिक शिक्षा के लिए बजट दिया जाता है।


आठवी शाला मे 500 विद्यार्थियों की संख्या है और 4000/- रु स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के लिए बजट दिया जाता है।

अधिकतर अशासकीय शालाओं मे बजट पर्याप्त है इसका मुख्य कारण है कि इन शालाओं मे बच्चों से अधिक फीस जी ली जाती है। शासीय शालाओं मे नाम मात्र की फीस ली जाती है। इसलिए शारीरिक शिक्षा के लिए पर्याप्त बजट शासकीय शालाओं मै नहीं मिलता है।

अत शासकीय शालाओं मे बजट अपर्याप्त है। और अशासकीय शालाओं मे बजट पर्याप्त है।

4.4 शारीरिक शिक्षा संबंधी गतिविधिया एवं खेलों के लिए समय सारिणी में स्थान

शाला के प्रकार	कुल शालाएं	समय सारिणी मे स्थान	समय अवधि
----------------	------------	------------------------	----------



उपरोक्त सारिणी से स्पष्ट है कि समय सारिणी में स्थान सभी आठ उच्च प्राथमिक शासकीय शालाओं में और सभी आठ उच्च प्राथमिक अशासकीय शालाओं में दिया गया है।

शारीरिक शिक्षा सम्बन्धी गतिविधियों के लिए समय दो शासकीय शालाओं में तीस मिनिट का समय दिया जाता है छ शालाओं में पैतालीस मिनिट का समय दिया जाता है।

अशासकीय उच्च प्राथमिक शालाओं में शारीरिक शिक्षा सम्बन्धी गतिविधियों के लिए एक शाला में तीस मिनिट का समय दिया जाता है, पाँच शासकीय शालाओं में पैतालीस मिनिट का समय दिया जाता है और दो शालाओं में साठ मिनिट का समय दिया जाता है।

आधुनिक शिक्षा का उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना है। मानसिक विकास शारीरिक विकास पर निर्भर करता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास निवास करता है दोनों को ही एक दूसरे से पृथक् नहीं किया जा सकता। आज के बच्चे भावी राष्ट्र के नागरिक हैं इसलिए शाला की समय सारिणी में स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के लिए पर्याप्त समय देकर बच्चों के शारीरिक दोषों को दूर कर सकते हैं तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी अच्छी आदतों का ज्ञान प्रदान कर सकते हैं।

45 उच्च प्राथमिक शालाओं में क्रीड़ा स्थल की उपलब्धता एवं आकार


शाला के प्रकार	कुल शालाएं	क्रीड़ा स्थल की उपलब्धता	क्रीड़ा स्थल के आकार			
			शा उ प्रा शा	अशा उ प्रा शा	शा उ प्रा शा	अशा उ प्रा शा
शा उ प्रा शा	8	8	1 80 X 70 मी.	2 60 X 50 मी.	3 50 X 50 मी.	1 60 X 90 मी.
अशा उ प्रा शा	8	8	1 80 X 60 मी.	2 50 X 50 मी.	2 50 X 60 मी.	2 50 X 40 मी.

उपरोक्त सारिणी से स्पष्ट है कि सभी आठ शासकीय तथा आठ अशासकीय शालाओं में क्रीड़ा स्थल उपलब्ध है। शासकीय एवं अशासकीय शालाओं के पास क्रीड़ा स्थल कुछ सीमा तक पर्याप्त है जिस पर विभिन्न खेलों जैसे फुटबाल, हॉकी, क्रिकेट आदि खेल क्रियाओं से खेल प्रशिक्षण एवं खेल अभ्यास करवाया जा सकता है।

46 उच्च प्राथमिक शालाओं में प्रतिवर्ष होने वाली खेल स्पर्धाओं का आयोजन

खेल स्पर्धाओं का आयोजन	शासकीय प्राथमिक	अशासकीय प्राथमिक
फुटबाल	0	0
रस्सी कूट	3	4
गोला फेक	2	6
हॉकी	0	0
शतरज	1	3
बैडमिटन	2	5
दौड़—कूद	8	8
खो—खो	8	8
कबड्डी	5	6
क्रिकेट	0	0
कैरम	0	2
जूड़ो	0	4
कुश्ती	2	4

उपरोक्त सारिणी से स्पष्ट है कि शासकीय शालाओं में फुटबाल, हॉकी, क्रिकेट, कैरम, जूड़ो आदि खेलों को खेल स्पर्धाओं के आयोजन में नहीं रखा जाता है क्योंकि फुटबाल को छोड़कर इन खेलों की खेल सामग्री शासकीय शालाओं में अपर्याप्त है। दौड़—कूद, खो—खो, कबड्डी की स्पर्धाएं शासकीय शालाओं में करवायी जाती हैं।



अशासकीय शालाओं में भी फुटबाल, हॉकी और क्रिकेट की स्पर्धाओं का आयोजन नहीं किया जाता क्योंकि अशासकीय शालाओं के क्रीड़ा स्थल में खेल सिखाने के लिए तो खिलाये जा सकते हैं परन्तु इनमें खेल स्पर्धाओं का आयोजन नहीं किया जा सकता। अशासकीय शालाओं में बैडमिटन, (ऐथलेटिक्स) दौड़—कूद, खो—खो, कबड्डी आदि खेलों की स्पर्धाओं का आयोजन किया जाता है।

अत शासकीय तथा अशासकीय शालाओं में सभी खेलों की स्पर्धाओं का आयोजन नहीं किया जाता है। शालाओं में सभी खेलों की खेल स्पर्धाओं का आयोजन होना चाहिए सभी खेलों की खेल स्पर्धाएं करवाने से सभी खेलों की प्रतिभाएं उभर कर आयेगी।

47 उच्च प्राथमिक शालाओं में मैदानी तथा आतंरिक खेलों की व्यवस्था

बाहरी खेलों की व्यवस्था	शाला के प्रकार		आतंरिक खेलों की व्यवस्था	शाला के प्रकार	
	शा.उ प्रा.शा	अशा.उ प्रा.शा		शा.उ	अशा.उ
खो—खो	8	8	कैरम	3	4
फुटबाल	8	8	शतरज	1	4
दौड़कूद	8	8	जूड़ो	1	5
हॉकी	0	6	कुस्ती	5	6
कबड्डी	5	5	बैडमिटन	2	7
क्रिकेट	0	6	टेबिल टेनिस	0	1
बास्केटबाल	0	4			
गोलाफेक	8	7			
रस्सी कूद	8	8			

उपरोक्त सारिणी से स्पष्ट है कि शासकीय उच्च प्राथमिक शालाओं में मैदानी खेलों में खो—खो, फुटबाल, दौड़—कूद, कबड्डी, गोला फेक और रस्सी कूद की व्यवस्था है। आतंरिक खेलों की व्यवस्था शासकीय शालाओं में नहीं है।

अशासकीय उच्च प्राथमिक शालाओं में मैदानी खेलों में खो—खो, फुटबाल,



दौड़—कूद, हॉकी, कबड्डी, क्रिकेट गोला फेक, रस्सीकूद आदि सभी खेलों की व्यवस्था है।

आतंरिक खेलों में कैरम, शतरज, जूँड़ो, कुश्ती, बैडमिटन आदि की व्यवस्था है।

सामान्य रूप से देखने में आता है कि अशासकीय शालाओं में आने वाले बच्चों के पालक बच्चों पर अधिक व्यय कर सकते हैं। शाला के अतिरिक्त भी वे गतिविधियों पर व्यय करते हैं। तथा अशासकीय शालाओं में उन खेलों की भी व्यवस्था है जिन पर खर्च तुलनात्मक दृष्टि से अधिक होता है।

सारणी क्र 47 को देखने से पता चलता है कि हॉकी, क्रिकेट, बास्केटबाल, शतरज, जूँड़ो, बैडमिटन, कैरम आदि खेल शासकीय शालाओं में नहीं खिलाये जाते किन्तु अशासकीय शालाओं में अधिकतर हॉकी, क्रिकेट, बास्केटबाल, शतरज, जूँड़ो, बैडमिटन, कैरम आदि खेलों का आयोजन किया जाता है।

अत शासकीय शालाओं की तुलना में अशासकीय शालाओं में मैदानी तथा आतंरिक खेलों की व्यवस्था पर्याप्त है। मैदानी खेलों में खो—खो और दौड़—कूद, गोला फेक और रस्सी कूद अधिक खेले जाते हैं।



48 उच्च प्राथमिक शालाओं में विद्यालय वार्षिकोत्सव के अंतर्गत आयोजित की जाने वाली गतिविधियां

गतिविधियों के नाम	शा.उ.प्रा.शा.	अशा.उ.प्रा.शा
खो—खो	6	7
फुटबाल	1	4
क्रिकेट	0	5
हॉकी	0	1
कबड्डी	5	5
बैडमिटन	0	1
ऊची कूद	6	7
गोला फेक	6	5
कैरम	0	2
शतरज	0	1
जूड़ो	0	5
रस्सी कूद	5	4
दौड़—कूद	8	8
कुश्ती	2	5

उपरोक्त सारिणी से स्पष्ट है कि शासकीय उच्च प्राथमिक शालाओं में विद्यालय वार्षिकोत्सव में खो—खो, कबड्डी, ऊची कूद, गोला फेक, रस्सी कूद, और दौड़—कूद आदि खेलों को रखा जाता है। क्रिकेट, हॉकी, शतरज, जूड़ो जैसे विष्यात खेलों को नहीं रखा जाता क्योंकि इन खेलों की खेल सामग्री शासकीय उच्च प्राथमिक शालाओं में नहीं है।

अशासकीय उच्च प्राथमिक शालाओं में विद्यालय वार्षिकोत्सव में खो—खो, कबड्डी, ऊची कूद, गोला फेक, क्रिकेट, जूड़ो, कुश्ती और दौड़—कूद को रखा जाता है।



49 उच्च प्राथमिक शालाओं में खेल सामग्री की उपलब्धता एवं आयोजित की जाने वाली क्रियाएँ

उपलब्ध सामग्री	शा.उ.प्रा शा.	अशा उ.प्रा.श.	आयोजित की जाने वाली खेल क्रियाएँ	श.उ.प्रा.शा	अशा उ.प्रा शा.
खेल का नाम			खेल का नाम		
फुटबाल सबधित	8	8	फुटबाल	7	8
क्रिकेट	1	6	क्रिकेट	0	6
बैडमिटन	3	7	बैडमिटन	3	7
हॉकी	0	6	हॉकी	0	6
बालीवाल	2	3	बालीवाल	2	3
कैरम	3	4	कैरम	3	3
शतरज	1	4	शतरज	0	2
टेबिल टेनिस	0	1	टेबिल टेनिस	0	1
बास्केटबाल	0	4	बास्केटबाल	0	3
गोला फेक	8	8	गोला फेक	6	6
रस्सी कूद	8	8	रस्सी कूद	8	8


उपरोक्त सारिणी से स्पष्ट है कि शासकीय उच्च प्राथमिक शालाओं में फुटबाल, गोला फेक, रस्सी कूद की खेल सामग्री है तथा क्रिकेट, हाकी, बास्केटबाल शतरज आदि खेलों की खेल सामग्री उपलब्ध नहीं है इसलिए इन खेलों की क्रियाएँ शासकीय शालाओं में नहीं करवायी जाती।

जबकि अशासकीय उच्च प्राथमिक शालाओं में सभी खेलों की खेल सामग्री उपलब्ध है। इसलिए वहां सभी खेलों की खेल क्रियाएँ करवायी जाती हैं।

विद्यार्थी 1987 ने बिहार के गया जिले में हुए शोधकार्य माध्यमिक शासकीय एवं अशासकीय शालाओं में स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा की सुविधाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया। इस अध्ययन में भी यह पाया गया था कि अशासकीय शालाओं की अपेक्षा शासकीय शालाओं में खेल सामग्री अपर्याप्त है। और आज भी अशासकीय शालाओं की तुलना में शासकीय शालाओं में खेल सामग्री अपर्याप्त है। शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों की उचित व्यवस्था के लिए इससे सम्बद्धित उपकरणों का



निरन्तर



होना आवश्यक है। प्रत्येक शालाओं में सभी खेलों की खेल सामग्री उपलब्ध होना चाहिए जिससे बच्चे को सभी खेलों की खेल क्रियाओं का ज्ञान प्रदान किया जा सके।

4.10 उच्च प्राथमिक शालाओं में स्वास्थ्य परीक्षण की अवधि तथा शारीरिक स्वच्छता सम्बंधी जाच जानकारी

शाला के प्रकार	स्वास्थ्य परीक्षण अवधि		शारीरिक स्वच्छता सम्बंधी जाच	
	वर्ष में एक बार	वर्ष में दो बार	सप्ताह में माह में	
शाउ प्राशा	8	0	3	5
अशाउ प्राशा	5	3	6	2

उपरोक्त सारिणी से स्पष्ट है कि शासकीय उच्च प्राथमिक शालाओं में छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण वर्ष में एक बार ही करवाया जाता है। अशासकीय शालाओं में भी अधिकतर शालाओं में एक बार ही छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाता है।

शारीरिक स्वच्छता सम्बंधी जाच शासकीय शालाओं में माह में की जाती है। और अशासकीय शालाओं में छात्रों की स्वच्छता सम्बंधी जाच सप्ताह में की जाती है।

4.11 उच्च प्राथमिक शालाओं में शारीरिक शिक्षा का मूल्यांकन मापन तथा छात्रों के ग्रुप का आधार

शाला के प्रकार	मूल्यांकन/मापन		छात्रों के ग्रुप का आधार	
	गुणात्मक	सख्यात्मक	कक्षा	आयु
शाउ प्राशा	5	3	7	1
अशाउ प्राशा	6	2	6	2

उपरोक्त सारिणी से स्पष्ट है कि पाच शासकीय शालाओं में छात्रों का मूल्यांकन के लिए गुणात्मक मापन किया जाता है। और तीन शालाओं में मूल्यांकन के लिए सख्यात्मक मापन किया जाता है। अशासकीय छ शालाओं में मूल्यांकन के लिए गुणात्मक मापन किया जाता है और दो शालाओं में सख्यात्मक मापन किया जाता है।

छात्रों के ग्रुप का आधार शासकीय तथा अशासकीय शालाओं में कक्षा के आधार पर किया जाता है आयु के आधार पर नहीं किया जाता है।

इस अध्ययन में यह एक अच्छी बात देखने से आयी है कि अधिकतर शासकीय

तथा अशासकीय शालाओं में शारीरिक शिक्षा का मूल्याकन के लिए गुणात्मक मापन किया जाता है।


छात्रों के ग्रुप का आधार शारीरिक शिक्षा में आयु के अनुसार होना चाहिए।


4.12 विद्यालय में उपलब्ध सुविधाएं

सुविधाएं	शा. उ. प्रा. शा.	अशा. उ. प्रा. शा.
पीने का पानी	7	8
अलग—अलग शौचालय	8	8
शाला भवन की स्वच्छता	5	7
प्रकाश व्यवस्था	5	6
खिड़किया	8	8
सफेदी	3	6
रोशनदान	8	8
क्रीड़ा स्थल सफाई	4	7
पखे	3	6
कूड़ेदान	2	6
विद्यार्थी बैठते हैं कुर्सी पर	0	7
कचरा नष्ट किया जाता है जलाकर	5	5
फेरी वाले खाने की वस्तुएँ ढकते हैं	2	5

उपरोक्त सारिणी से स्पष्ट है कि शासकीय तथा अशासकीय शालाओं में पीने का पानी, बालक—बालिकाओं के लिए अलग—अलग शौचालय, शाला भवन की स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था, खिड़किया, रोशनदान, सफेदी आदि की व्यवस्था है। शासकीय शालाओं में पखे व कूड़ेदान और क्रीड़ा स्थल की सफाई की व्यवस्था नहीं है। शासकीय अशासकीय शालाओं में कचरा जलाकर नष्ट किया जाता है जो कि अच्छी बात है। इससे रोगों के कीटाणु नहीं पनप पाते हैं।

किन्तु शासकीय शालाओं में कूड़ेदान की व्यवस्था न होने से बच्चे कचरा कही भी फेक देते हैं। अत शालाओं में कूड़ेदान की व्यवस्था होनी चाहिए।





स्वास्थ्य परीक्षण

स्कूल के अधिकारियों को चाहिए कि वे विद्यार्थियों के स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था करे विद्यार्थियों के नेत्र, श्रवण, रीड की हड्डी की विकृति, सुषुम्ना विकृति को भी दूर करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, कागज व स्थाही, पढ़ने की सामग्री, ब्लैक बोर्ड और चॉक का प्रयोग भी ऐसा हो जिससे छात्रों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव न पड़े। शैक्षिक सत्र के प्रारम्भ होने के साथ ही सभी छात्रों की जाच की जानी चाहिए। यदि किसी छात्र में कोई दोष हो तो उसका पता करके इसकी जानकारी प्राचार्य तथा उसके माता-पिता को सूचना देनी चाहिए और उसका रिकार्ड शाला तथा डॉक्टर दोनों के पास होना चाहिए।

छात्रों के शारीरिक स्वास्थ्य की परीक्षा नियमित रूप से होनी चाहिए। प्रथम चरण में डॉक्टर छात्रों के कद और भार का निरीक्षण करे। इस तरह वह छात्रों के तुलनात्मक भार का पता लगा सकता है लम्बे व छोटे कद का पता लगा सकता है। छात्रों के दौड़ने, लिखने, खड़े होने और बैठने के ढग का भी ध्यान रखना चाहिए।

शारीरिक स्वच्छता

इसके अतिरिक्त अध्यापक छात्रों की निजी स्वच्छता जैसे दात, नाखून, हाथ, बाल, आख, चमड़ी, शरीर और वस्त्रों की सफाई का निरीक्षण कर सकता है। वह उनके चर्म रोगों जैसे दाद, खुजली और छाले आदि का पता लगा कर उचित सलाह प्रदान कर सकता है।

स्वास्थ्य लेखा

शाला को एक रजिस्टर बनाना चाहिए जिसमें प्रत्येक छात्र के भार, आकार, दृष्टि, श्रवण, छाती के नाप का उल्लेख हो छात्रों की बीमारियों का उल्लेख हो। इस तरह छात्र को एक कार्ड दिया जा सकता है और इसकी प्रतिलिपि रजिस्टर में दर्ज की जा सकती है। शाला के अधिकारियों का यह कर्तव्य है कि वे प्रत्येक छात्र के स्वास्थ्य का रिकार्ड रखे और इसकी प्रतिलिपि अभिभावकों को भेजे। शासकीय उच्च प्राथमिक शालाओं में बच्चे टाटपट्टी पर बैठते हैं और अशासकीय शालाओं में भी बच्चों के लिए टेबिल कुर्सी की व्यवस्था होनी चाहिए। शासकीय शालाओं में फेरी बालों पर ध्यान नहीं दिया जाता इसलिए वे बिना ढकी हुई खाद्य सामग्री छात्रों को बेचते रहते हैं।

अशासकीय शालाओं में फेरी बालों पर ध्यान दिया जाता है और ऐसी कोई भी

खाद्य सामग्री बेचने वाले को शाला के पास खड़े नहीं होने दिया जाता है जो कि बिना ढकी हुई खाद्य सामग्री बेचते हैं। स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के द्वारा बच्चों में शारीरिक निपुणता, प्रगति और मानसिक जागृति लाकर उनके आचरण और व्यक्तिगत का विकास किया जा सकता है। प्रगति और स्वास्थ्य—जीवन जीने के योग्य बनाया जा सकता है। बच्चों में शारीरिक शिक्षा के द्वारा अच्छे नागरिक बनने की योग्यता उत्पन्न की जा सकती है।

स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा तथा खेलकूद अधिगम प्रक्रिया के अनिवार्य अग होने चाहिए तथा शिक्षार्थी की कार्यक्षमता का मूल्याकन करते हुए इन्हे भी ध्यान में रखना चाहिए ताकि स्वास्थ्य समुदाय का निर्माण हो सके सभी स्तरों पर चिकित्सा सबधी निरीक्षण और जाच अनिवार्य कर देना चाहिए बच्चों में साफ—सुथरा रखने मानसिक सतुलन बनाए रखने, भावनात्मक स्वास्थ्य और स्वाथ्य सामुदायिक रहन—सहन की आदतों का विकास करने को महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए। स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के लिए छपी हुई सामग्री होना चाहिए। ताकि सभी खेलों का ज्ञान प्रदान किया जा सके। सभी शालाओं में स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के लिए पर्याप्त बजट हो और खिलाड़ियों को उत्साहित किया जाये।

